MAHARSHI VISHWAMITRA
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE
GHAZIPUR - 233001

MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE GHAZIPUR (U.P)INDIA- 233001

OFFICE OF THE PRINCIPAL

Prof.(Dr.)Anand Mishra
Principal

S. No.: ____________
Dated: ____________

पत्रांक–एमवीएएसएमसी गाजीपुर / विज्ञप्ति / 2023–24 / २२५ दिनांक 03.03.2023

विज्ञप्ति सूचना

महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

एन0एम0सी0 / एम0सी0आई0 मानकों के पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय में आचार्य, सह–आचार्य, एवं सहायक आचार्य के सृजित पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवदेन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक–इन–इण्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती कि वह साक्षात्कार हेतु 15 / 03 / 2023, दिन–बुधवार को कार्यालय प्रधानाचार्य महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में पूर्वान्ह 02.00 बजे अपने समस्त शैक्षिक / अनुभव प्रमाण पत्रों / शोध–पत्रों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट बायो–डाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित संलग्न प्रारूप के साथ उपस्थित हों। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियॉ एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट http://dgme.up.gov.in एवं महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के वेबसाइट www.asmcghazipur.ac.in पर उपलब्ध है।

क0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक्स	01	OBC	01	SC	01	UR
2	आब्स एण्ड गायनी	01	SC	01	UR	02	OBC
3	इमरजेंसी मेडिसिन	-	-	01	OBC	01	UR
4	एनेस्थिसिया	-	-	01	SC	01	UR
						01	OBC
5	कम्यूनिटि मेडिसिन	01	UR	01	UR	01	EWS
						01	UR
						01	OBC
				01	SC	01*	UR
						01**	SC
						01***	EWS
6	जनरल मेडिसिन	01	OBC	01	UR	-	-
				01	OBC		
7	टी0बी0 & चेस्ट	-	-	01	SC	01	OBC
8	डर्मेटोलॉजी	-	-	01	UR	01	UR
9	पैथालॉजी	01	EWS	01	UR	01	UR
						01	OBC
10	फार्माकोलॉजी	1	SC	01	SC	01	UR
						01	OBC
11	फिजियोलॉजी	01	SC	-	-	01	OBC
12	फॉरेन्सिक मेडिसिन	01	UR	01	UR	01	SC
13	माइक्रोबायोलाजी	01	OBC	01	UR	01	EWS

14	रेडियोलॉजी	-	-	01	OBC	01	SC
15	साइकेट्री	-	-	01	UR	01	SC
16	पीडियाट्रिक्स	01	OBC	01	OBC	01	SC
17	ई0एन0टी0	-	-	-	-	01	OBC
18	जनरल सर्जरी	01	UR	01	OBC	01	UR
19	बायोकेमिस्ट्री	-	-	01	OBC	-	-

Note: *Statistician Cum Assistant Professor, **Medical Officer Health Cum Lecturer/Assistant Professor at RHTC, ***Medical Officer Health Cum Lecturer/Assistant Professor at UHTC In the department of Community Medicine.

नोट–एनएमसी मानकों एवं एल0ओ0पी0 / 2nd Renewal को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत है–

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रु0 1,35,000/, सह–आचार्यों का नियत वेतन रु0 1,20,000/तथा सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु0 90,000/माह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को NMC/Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश सं0–2282/71–1–2013–जी0–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0–562/71–1–2020–जी0–63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह–आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College, Uttar Pradesh Principal and Teacher's (Recruitment & other Conditions of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने/दिखाने के लिए बाध्य नही करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवायें के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियम वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होगें।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी अगर निर्धारित श्रेणी मे ही नियुक्त है एवं नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवष्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित

मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेषक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।

13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई कोई बोनस देय नही होगें।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नही होगें।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है। संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
16. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आषय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0(आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रु0 08 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी,
गाजीपुर

पत्रांक–एएसएमसी गाजीपुर/विज्ञप्ति/2023–24/224 तददिनांक : 03/03/23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6ठॉ तल, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी
गाजीपुर